

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मांग संख्या 68

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	518.47	12.72	531.19	944.70	10.50	955.20	941.15	13.50	954.65	1132.50	14.38	1146.88	
पूँजी	19.63	...	19.63	53.30	...	53.30	53.30	...	53.30	65.50	...	65.50	
जोड़	538.10	12.72	550.82	998.00	10.50	1008.50	994.45	13.50	1007.95	1198.00	14.38	1212.38	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	11.28	11.91	23.19	13.40	9.50	22.90	11.90	12.50	24.40	15.00	13.38	28.38
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा													
2. ग्रिड अंतः सक्रिय और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा	2810	200.88	...	200.88	452.00	...	452.00	442.90	...	442.90	664.00	...	664.00
3. ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	2810	137.17	...	137.17	143.00	...	143.00	162.00	...	162.00	176.00	...	176.00
	3601	15.25	...	15.25	20.00	...	20.00	21.00	...	21.00	19.00	...	19.00
जोड़		152.42	...	152.42	163.00	...	163.00	183.00	...	183.00	195.00	...	195.00
4. शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	2810	64.73	...	64.73	25.00	...	25.00	37.00	...	37.00	10.00	...	10.00
5. नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, अभिकल्पन तथा विकास	2810	58.87	...	58.87	144.70	...	144.70	119.70	...	119.70	77.50	...	77.50
	4810	0.03	...	0.03	3.30	...	3.30	3.30	...	3.30	15.50	...	15.50
जोड़		58.90	...	58.90	148.00	...	148.00	123.00	...	123.00	93.00	...	93.00
6. सहायक कार्यक्रम													
6.01 विदेशी सहायता (ईएपी)	2810	1.82	...	1.82	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	6.00	...	6.00
6.02 घरेलू सहायता	2810	37.11	0.81	37.92	42.60	1.00	43.60	42.65	1.00	43.65	44.50	1.00	45.50
जोड़- सहायक कार्यक्रम		38.93	0.81	39.74	45.60	1.00	46.60	45.65	1.00	46.65	50.50	1.00	51.50
7. अन्य व्यय	2810	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	3601	3.94	...	3.94	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	0.40	...	0.40
जोड़		3.94	...	3.94	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
8. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	4810	19.60	...	19.60	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		539.40	0.81	540.21	884.60	1.00	885.60	882.55	1.00	883.55	1063.00	1.00	1064.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
10. वास्तविक वसूलियां	2810	-12.58	...	-12.58
http://indiabudget.nic.in													

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
कुल जोड़	538.10	12.72	550.82	998.00	10.50	1008.50	994.45	13.50	1007.95	1198.00	14.38	1212.38	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
8.01 भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	12810	19.60	1221.27	1240.87	50.00	950.00	1000.00	50.00	1496.65	1546.65	50.00	950.00	1000.00
जोड़		19.60	1221.27	1240.87	50.00	950.00	1000.00	50.00	1496.65	1546.65	50.00	950.00	1000.00
ग. योजना परिव्यय*													
1. नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा	12810	538.63	1221.27	1759.90	900.00	950.00	1850.00	895.00	1496.65	2391.65	1080.00	950.00	2030.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
जोड़		538.63	1221.27	1759.90	1000.00	950.00	1950.00	995.00	1496.65	2491.65	1200.00	950.00	2150.00
<i>*शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन</i>													
मांग संख्या 102	12810	0.53	...	0.53	2.00	...	2.00	0.55	...	0.55	2.00	...	2.00

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यय हेतु उपलब्ध कराता है।

2. **ग्रिड-इंटरएक्टिव और संवितरित अक्षय विद्युत:** पवन, लघु पनबिजली, बायोमास विद्युत/सह-उत्पादन, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा तथा सौर विद्युत से लगभग 3540 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत क्षमता संयोजन; और 135 मेगावाट समतुल्य ऑफ-ग्रिड/संवितरित अक्षय विद्युत प्रणालियों की संस्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान। इन आंकड़ों में सौर मिशन के अंतर्गत संस्थापित की जाने वाली 300 मेगावाट ग्रिड विद्युत और 32 मेगावाट समतुल्य ऑफ-ग्रिड/संवितरित सौर विद्युत शामिल है। इसमें अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान भी शामिल है।

3. **ग्रामीण अनुप्रयोगों हेतु अक्षय ऊर्जा:** 500 दूरस्थ गांवों/वस्तियों में डीआरपीएस सहित एसपीवी/अन्य अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों के माध्यम से आधारभूत बिजली/रोशनी सुविधा का प्रावधान; और 0.30 मिलियन घनमीटर क्षमता के पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र (1.5 लाख संख्या)। इसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए प्रावधान भी शामिल है।

4. **शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों हेतु अक्षय ऊर्जा:** 0.60 मिलियन वर्ग मीटर की सौर जल तापन प्रणालियों की संस्थापना; ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा देना (5 मिलियन वर्गमीटर वन क्षेत्र); और सौर शहरों के लिए महा आयोजना (मास्टर प्लान)।

5. **अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास:** नई और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रम; एमएनआरई के केन्द्रों/संस्थाओं (एसईसी, सी-वैट और एनआईआरई) को सहायता; मानक एवं परीक्षण; अक्षय ऊर्जा संसाधन मूल्यांकन (सौर मिशन के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यक्रमलाप सहित)।

6. **सहायक कार्यक्रम:** अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की सूचना, प्रचार और विस्तार (आईपीई); अंतर्राष्ट्रीय संबंध; मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण सहित प्रशासन एवं मॉनीटरिंग; राज्यों तथा उद्योग को सहायता (सौर मिशन के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमलाप सहित)।

7. **अन्य व्यय:** 10वीं योजना के कार्यक्रमों की विभिन्न देयताओं का प्रबंध करना।

8. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** इसमें भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) को इक्विटी सहायता हेतु प्रावधान शामिल है जिसे विभिन्न नई और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की परियोजनाओं/स्कीमों की सहायता करने के लिए स्थापित किया गया था।
9. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु एकमुश्त प्रावधान:** इसमें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है।